न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 35/2022

निर्णय दिनांक :–03.01.24

उनवानी प्रार्थना पत्र :

भागचन्द त्रिपाटी पुत्र श्री नारायण जाति ब्राहमण उम्र बालिग निवासी वार्ड नं0 9 घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टॉक राज0।

–प्रार्थीगण–

ब्नाम

1. महेन्द्र पुत्र आत्माराम घोसी जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
2. उषा देवी पुत्री आत्माराम घोसी जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निंवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
3. गीता देवी पुत्री आत्माराम घोसी जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
4. विमला देवी पुत्री आत्माराम घोसी जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
5. सुखिया देवी पत्नि स्व. आत्माराम घोसी जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
6. मिठठ्न पुत्र मोहनलाल जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
7. राकेश पुत्र मोहनलाल जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
8. कान्ता पुत्री मोहनलाल जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
9. सन्तोष पुत्री मोहनलाल जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टॉक राज0।
10. सुमन पुत्री मोहनलाल जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
11. सीमा पुत्री मोहनलाल जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
12. सुगनी देवी पत्नि मोहनलाल जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
13. मनोज कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देक्ली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
14. शशि कुमार हावा पुत्र श्री रामकिशन जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी हनुमाननगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा रज0
15. राजेन्द्रकुमार ग्वाला पुत्र गोरधन जाति घोसी (ग्वाला) उम्र बालिग निवासी जनता कॉलोनी बस स्टेण्ड के पीछ देवली, तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
16. तहसीलदार तहसील देवली, जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण–

–उपस्थिति –

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री अनिल चौहान
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त आराजीयात

की भूमि खाता सं0 982 खसरा नं0 4005 रकबा 1.01 है0. किस्म बारानी प्रथम भूमि वाके ग्राम देवलीगांव प0ह0 देवलीगांव तहसील देवली जिला–टॉक में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा 4/25 व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 का प्रत्येक का हिस्सा 1/35, अप्रार्थीगण सं0 6 ता 7 का प्रत्येक का हिस्सा 9/70, अप्रार्थीगण सं0 8 ता 12 का प्रत्येक का 1/35, अप्रार्थीगण सं0 13 का हिस्सा 2/25, अप्रार्थीगण सं0 14 का हिस्सा 7/25 है और उक्त हिस्सानुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि हिस्सा 4/25 पर मौके पर तारबन्दी करवा रखी है। प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात से अप्रार्थीगण का 15 का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थीगण सं0 15 जमीन खरीद फरोक्त का व्यवसाय करता है और मौके पर बिना विभाजन करवाये ही ओर विधिवत् रूप से से भूमि भू की किस्म परिवर्तन करवाये ही मौके पर भू–खण्ड बनाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई, बेचने पर आमादा रहता है और प्रार्थी के सहखातेदार अप्रार्थीगण सं0 14 के हिस्से की भूमि को क्रय करना बताता है। और मौके पर आकर प्रार्थी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजामत करता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के चरण नं0 2 में वर्णित आराजीयात खाता सं0 982 खसरा नं0 4005 रकबा 1.01 है0, किस्म बारानी प्रथम भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं0 1 ता 14 के मध्य मौके पर वर्षों पूर्व ही बटवारा हो चुका है और उक्तानुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी एंवं अप्रार्थीगण नं0 1 ता 14 के मध्य राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन मौके पर लडाई झगडा होता है एवं राजस्व लगान आदि जमा कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के चरण नं0 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा 4/25 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार मौके पर काबिज काश्त अनुसार अलग से खाता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 15 के मध्य आये दिन मौके पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड का बटवारा नहीं होने के कारण लडाई झगडा होता है एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 15 व उनके परिवार के सदस्य प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हिस्से में कब्जे काश्त में मजामत करते हैं और प्रार्थी को अपने खेतो की हकाई, बुआई आदि करने पर जान माल से खेलने पर उतारू है। इस कारण अप्रार्थीगण सं0 1 ता 15 को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वे स्वयं जरिये नोकर चाकर, दीगर पारिवारिक सदस्यों के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हकाई बुआई आदि करने में मजामत नहीं करे, लडाई झगडा नहीं करे एवं पाबन्द रहे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण स0 1 व 14 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद तक के लिये पाबन्द किया जावे कि खाता सं0 982 खसरा नं0 4005 रकबा 1.01 है0. किस्म बारानी प्रथम भूमि वाके ग्राम देवलीगांव प0ह0 देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक में स्थित है को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम व हिस्से को मौके पर काबिज काश्त अनुसार विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अलग से नाम दर्ज किया जावे एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 15 मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य, भूखण्ड बनाकर विक्रय नहीं करे, एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को

अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, दान, बेचान, वसीयत का पंजीयन नहीं करावे, एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 15 प्रार्थी को मौके में, कब्जेकाश्त में मजामत नहीं करे, लडाई झगडा नहीं करे, एवं पाबन्द रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 5 का नाम हजफ किया गया।

अप्रार्थी संख्या 15 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनिल चौहान ने 1 ता 4 व 6 ता 14 की ओर से वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः— प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 में दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी को दावा व प्रार्थना पत्र में सफलता की कोई आशा नहीं है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है, और सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नं. 1 ता 14 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 982 खसरा नम्बर 4005 रकबा 1.01 है0 किश्म बारानी प्रथम भूमि ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित होना स्वीकार है। उक्त वर्णित भूमि में से प्रार्थी का 4/25 हिस्सा अंकित है, जबकि मौके पर प्रार्थी का कब्जा–काश्त नहीं है, जबकि सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 व 6 ता 14 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जमाबंदी के अनुसार 1 ता 4 का प्रत्येक का हिस्सा 1/35 ना होकर 1/25 है, अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 9/70 हिस्सा, अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 12 का प्रत्येक का 1/35 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 13 का 2/25 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 14 का प्रत्येक का 7/25 हिस्सा ना होकर 4/25 हिस्सा है। उक्त हिस्से के अनुसार सभी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व 6 ता 14 काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा अप्रार्थीगण संख्या 14 द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात पर भूमि के चारो ओर पोल गाढ़कर तारबंदी करवा रखी है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नही है। उक्त भूमि में प्रार्थी के 4/25 हिस्से का जमाबंदी में इन्द्राज किया गया है लेकिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भी भू– भाग पर मोके पर आज तक कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही वर्तमान मे है। अप्रार्थी संख्या 14 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर लाखो रूपये खर्च कर चारो ओर सीमेन्ट के पोल गाढकर तारबंदी व जाली मौके पर कर रखी है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 में वर्णित भूमि होना स्वीकार है, शेष ईबारत आंशिक रूप से स्वीकार है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 का पूर्व में ही मौके पर उनके हिस्से के अनुसार बंटवारा हो चुका है और उसी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 मध्य विधिवत् रूप से विभाजन नहीं हो रखा है। इस कारण अप्रार्थीगण नं 1 ता 4 व 6 ता 14 मध्य उनके दर्ज हिस्से के अनुसार विधिवत् विभाजन कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण नं 1 ता 4 व 6 ता 14 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त भूमि

पर आज तक मौके पर कब्जा–काश्त नहीं होने के कारण केवल जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 के द्वारा प्रार्थी के कब्जे–काश्त में बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण 1 ता 4 व 6 ता 14 को जरिए अस्थायी निषेधज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। जबकि प्रार्थी स्वयं अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की नियत से प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और इस वाद व प्रार्थना पत्र की आड़ में स्वंय प्रार्थी आये दिन अप्रार्थीगण 1 ता 4 व 6 ता 14 के हक व हिस्से की भूमि में उनके कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करना है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को किसी अन्य को बेचान/ हस्तान्तरित करने की धमकियां देता है। इसलिए प्रार्थी को पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मात्र जमाबंदी में इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 की कब्जे काश्त व अधिकार की भूमि पर मजाहमत नहीं करे, अन्य को हस्तान्तरित नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण चलने योग्य नहीं है, अपितु खारिज किये जाने योग्य है और ना ही अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 का किसी भी प्रकार से जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। यदि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 के हिस्से की भूमि का उनके मध्य विभाजन करवा दिया जावे तो अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 को कोई आपत्ति नहीं है एवं प्रार्थी को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि मौके पर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 6 ता 14 बेदखल नहीं करे, कब्जे–काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जाकाश्त है और प्रतिवादीगण विवादित भूमि को बिना विधिवत विभाजन हुए विक्रय करने पर आमादा है साथ ही प्रार्थी की भूमि पर मजामहत आये दिन करते रहते है। जिसका उनको किसी भी तरह से अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर ना तो अभी कब्जा है और न ही पहले कभी था । केवल अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने की नियत से वाद पेश किया । प्रार्थीगण को सहखातेदारान को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार काश्तकार है जिनको किसी भी तरह से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दृष्टान्त 1262, 2021(4) डीएनजे राज. पेश करै प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम देवलीगांव जमाबन्दी संवत 2074–77 के ख. नं. 4005 रकबा 1.01 है0 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 4/25 है। प्रार्थी का दौराने बहस कथन है कि प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जाकाश्त है और अप्रार्थीगण भूमि का विक्रय कर रहे है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.1.23 को कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रंस्तुत जवाब व बहस में कथन किया कि प्रार्थी का ख. नं. 4005 पर कब्जाकाश्त नहीं है। सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जाकाश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर तारबन्दी कर रखी है। पत्रावली में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में प्रार्थी आये दिन उनके हक व हिस्से की भूमि के कब्जेकाश्त का उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में आंशिक हिस्से का सहखातेदार है व सहखातेदार को कानूनन अस्थायी निषेधज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अप्राथीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त 1262, 2021(4) डीएनजे राज. का उल्लेख करते हुए कथन किया कि उक्त दृष्टान्त में कब्जा साबित न होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया गया है। अतः पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनाक 30.01.23 को खारिज करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार है । अप्रार्थीगण द्वारा बहस व जवाब में प्रार्थी का कब्जा न होने का कथन किया है परन्तु इस तरीके का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी का कब्जा नहीं है, साथ ही प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसका कब्जा साबित होता हो। चूंकि बंटवारे का वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, जिसका निर्णय साक्ष्य सबूत के आधार पर होना है परन्तु न्याय का यह भी सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि के निर्बाध उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न हो। जबकि प्रार्थी, अप्रार्थीगण को सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के बावजूद भी पाबन्द करवाना चाहता है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अतः पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.01.23 को खारिज करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मुल दावे के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 03.01.2024 को सुनाया गया।

03.01.24

उपखण्ड अधिकारी
देवली